

1 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 64/2017

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष— वीरेन्द्र सिंह राजपूत  
आप0 पुनरीक्षण याचिका क. 64/2017  
संस्थापन दिनांक – 18.08.2017

1. मुन्नालला सोनी पुत्र पन्नालाल सोनी, उम्र 70 वर्ष।
2. श्रीमती प्रतिभा उर्फ पिकी सोनी पत्नी संजीव कुमार सोनी, उम्र 40 वर्ष, निवासीगण बडा बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....निगरानीकर्ता/आवेदकगण

// विरुद्ध //

1. म0प्र0 शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद, जिला भिण्ड
2. राजीव सोनी पुत्र श्री विहारीलाल सोनी, निवासी—  
वार्ड. 10 बडा बाजार गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

.....प्रतिनिगरानीकर्ता/अभियोगी

निगरानीकर्तागण द्वारा श्री पी0के0 वर्मा अधिवक्ता।  
प्रतिनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह  
गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

आ-दे-श

(आज दिनांक 20/09/2017 को पारित किया गया)

01. निगरानीकर्तागण/आवेदकगण की ओर से यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी श्री ए0के0 गुप्ता न्यायालय के प्र0क0 811/2012 ई.फौ. (शासन बनाम संजीव कुमार बगैरह) में पारित आदेश दिनांक लिए गए संज्ञान आदेश दिनांक 20.07.2017 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा निगरानीकर्तागण के विरुद्ध धारा 319 दं.प्र.सं. का आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध संज्ञान लेते हुए उन्हें समंस द्वारा आहूत किये जाने का आदेश दिया गया है।

02. प्रतिनिगरानीकर्ता/अभियोगी दीपक सोनी व राजीव सोनी द्वारा पुलिस थाना गोहद में एक लेखीय आवेदनपत्र इस बावत् प्रस्तुत किया कि मुन्नालाल, संजीव सोनी व उसकी पत्नी पिकी ने उसकी जगह में दीवाल खड़ी कर रहे हैं, उसने मना किया तो उक्त सभी लोगों ने उसके घर में आकर उसे व उसके भाई राजीव को मारपीट व धारदार चाकू लेकर हमला करने लगे तब बचाव में उसके हाथ में गहरा जख्म हो गए एवं छुरा संजीव सोनी ने मारा एवं मुन्नालाल व संजीव ने लाठियों से मारपीट की एवं पिकी ने पत्थरों से मारपीट की तथा एक महीने के अंदर दीपक को जान से मारने की धमकी दी। उक्त आवेदनपत्र की जाँच उपरांत आरोपी संजीव व मुकेश सोनी के विरुद्ध अपराध सिद्ध पाए जाने से अप0क्र0 219/12 अंतर्गत धारा 452, 323, 294, 506बी, 34 भा.द.वि का पंजीबद्ध किया गया और सम्पूर्ण विवेचना उपरांत विचारण हेतु अभियोगपत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ में विचारण के दौरान फरियादी राजीव सोनी के द्वारा आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 319 जा0फौ0 प्रस्तुत किया गया है जिस विचार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20.07.2017 को निगरानीकर्तागण मुन्नालाल सोनी एवं प्रतिभा उर्फ पिकी सोनी के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए उन्हें समंस द्वारा आहूत किया गया है, जिससे व्यथित होकर आरोपी/निगरानीकर्ता के द्वारा यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है।

03. निगरानीकर्तागण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश दिनांक 20.07.2017 को विधि और तथ्यों के विपरीत होना व्यक्त करते हुए यह व्यक्त किया अधीनस्थ न्यायालय ने मनमाने तरीके से विधि विरुद्ध दं.प्र.सं. की धारा 319 के अंतर्गत निगरानीकर्तागण के विरुद्ध संज्ञान लेने में कानूनी भूल की है, जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज रिकार्ड पर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

### 3 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 64/2017

04. प्रतिनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से श्री अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप दर्शाते हुए निगरानीकर्ता की याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. निगरानीकर्तागण की ओर से पी0के0 वर्मा एवं प्रतिनिगरानीकर्ता राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्र0क0 811/2012 ई.फौ. (शासन बनाम संजीव कुमार बगैरह) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

06. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्र0क0 811/2012 ई.फौ. (शासन बनाम संजीव कुमार बगैरह) में पारित आदेश दिनांक 20.07.2017 विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	--

#### ॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि निगरानीकर्तागण के नाम अपराध किए जाने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पर नहीं है, न ही अनुसंधान के दौरान पुलिस ने निगरानीकर्तागण के विरुद्ध कोई अपराध किया जाना पाया है, किन्तु उसके पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्तागण को प्रकरण में सहआरोपी के रूप में जोड़े जाने का जो आदेश दिया है वह त्रुटिपूर्ण है।

08. जहाँ तक निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का प्रश्न है कि निगरानीकर्तागण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है, इस संबंध में विचार किया जाए तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुन्नालाल व संदीप सोनी की पत्नी पिकी के द्वारा दीवाल खड़ी करने एवं मुन्नालाल के द्वारा लाठी व संदीप की पत्नी के द्वारा पत्थर से मारने संबंधी तथ्य

लेख कराए है। ऐसी स्थिति में निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के यह तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि निगरानीकर्तागण के द्वारा अपराध करने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई तथ्य लेख नहीं कराया है। साक्षी राजीव सोनी के न्यायालयीन कथन का अवलोकन किया जाए तो इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में लेख कराए गए तथ्यों के अनुसार ही मुन्नालाल के द्वारा डंडे से मारपीट करने एवं पिकी के द्वारा पत्थर से मारपीट करने संबंधी तथ्य लेख कराए है।

09. जहाँ तक निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के इन तर्कों का प्रश्न है कि मुन्नालाल के द्वारा किस व्यक्ति को किस स्थान पर चोट पहुँचाई गई आवेदनपत्र में उल्लेख नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में मुन्नालाल व संदीप के द्वारा आहतगण के साथ लाठी से मारपीट किए जाने संबंधी तथ्य लेख कराए है। किसी व्यक्ति ने, किस आहत को, किस स्थान पर चोट पहुँचाई यह गुणदोष का विषय है और साक्ष्य के उपरांत ही नियत किया जा सकता, किन्तु प्रकरण की इस स्टेज पर प्रमुख विचारणीय प्रश्न यह है कि – क्या प्रकरण की परिस्थितियों से निगरानीकर्तागण/आरोपीगण के विरुद्ध दं.प्र.सं. की धारा 319 आकर्षित होती है?

10. दं.प्र.सं. की धारा 319 उस समय आकर्षित होती है, जब किसी अपराध की जाँच या विचारण के दौरान साक्ष्य से ऐसा प्रतीत होता है कि किस व्यक्ति ने जो अभियुक्त नहीं है कोई ऐसा अपराध किया हो जिसके लिए ऐसे व्यक्ति का अभियुक्त के साथ विचार किया जा सकता है, वहाँ न्यायालय उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है।

11. प्रश्नगत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट में निगरानीकर्तागण के विरुद्ध रिपोर्टकर्ता ने अपराध में सक्रीय रूप से शामिल होने एवं मारपीट किये जाने संबंधी तथ्य लेख कराए है। साक्षी राजीव सोनी ने अपने न्यायालयीन कथन के मुख्य परीक्षण में भी पुनरीक्षणकर्तागण के शामिल होने संबंधी कथन किए हैं। अपराध किया गया अथवा नहीं यह गुणदोष का विषय है, किन्तु प्रकरण की परिस्थितियों से प्रथम दृष्टिया निगरानीकर्तागण के

विरुद्ध वर्तमान आरोपीगण के साथ विचारण किये जाने के संबंध में पर्याप्त सामाग्री रिकार्ड पर उपलब्ध है।

12. जहाँ तक निगरानीकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता के इन तर्कों का प्रश्न है कि विचारण न्यायालय ने केवल मुख्य परीक्षण को आधार बनाया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि मुख्य परीक्षण भी साक्ष्य का एक भाग है और दं.प्र.सं. की धारा 319 को आकर्षित करने के लिए साक्षी के प्रतिपरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है।

13. विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में दं.प्र.सं. की धारा 319 को स्पष्टतः विवेचित करते हुए इसके संबंध में सुदृढ़ न्यायिक सिद्धांत उद्धृत किये हैं एवं प्रकरण में आई हुई परिस्थितियों के आधार पर उचित रूप से निगरानीकर्तागण को नोटिस जारी किए जाने संबंधी आदेश प्रदान किए हैं।

14. अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि विचारण न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित करने में ऐसी कोई त्रुटि नहीं की है जिसमें कि पुनरीक्षणाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप किया जा सके।

15. परिणामतः निगरानीकर्तागण की ओर से प्रस्तुत याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य आदेश की पुष्टि की जाती है।

16. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख वापस किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद  
जिला भिण्ड (म0प्र0)